

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट सैंथली)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

नुकदमा नं० 3/ 1107 /15

निर्णय दिनांक : 03.06.2016

उनवान

1. चेताराम पुत्र ख्यालीराम जाति चमार निवासी ग्राम बामनी खेडा तह० रामगढ़ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार रामगढ़।

.....अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.50 हैक्ट० वाके ग्राम बामनी खेडा तह० रामगढ़ जिला अलवर की पैमाईश, पत्थरगढी व निशानदेही करने हेतु अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में दिनांक 03.06.2016 को पेश हुई। पत्रावली का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैमाईश रिपोर्ट की छायाप्रति दिनांक 15.07.13 के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 625 रकबा 0.50 हैक्ट० वाके ग्राम बामनी खेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराना सुनिश्चित करे। तहसीलदार रामगढ़ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत सैंथली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)